FORM NO IH
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग

प्रहलादी बनाम नन्नू वगै0

मुकदमा किस्मः– दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. (रिमाण्ड RAA) मुकदमा नम्बरः /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.07.2024	उनवानी प्रकरण न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के पत्रांकः 42 दिनांक 11.07.2024 से प्रकरण संख्या 270/2009, उनवानी प्रकरण प्रहलादी बनाम नन्नू वगै0 को निर्णय दिनांक 01.07.2024 (नन्नू बनाम प्रहलादी वगै.) के साथ इस न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया गया है कि "अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2020 निरस्त किये जाकर प्रकरण मुताविक राजीनामा पुनः सुनवाई की जाकर विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के **निर्णय दिनांक 01.07.2024 की पालना में** आयंदा पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई हेतु नियत दिनांक 31.07.2024 को पेश हो। Ram	
31/07/24	प्रकरण अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित अधिकारी अस्वस्थ/राज्य कार्य से बाहर पर/कैम्प में भरतपुर पधारे हैं। वकील वादी/प्रतिवादी ने _____ पेश किया। शामिल पत्रावली लेकर मर्यानुसार दि० 04/09/24 को पेश हो।	
4/9/24	पक्षकारान प्रहलादी व नन्नू/अन्य पक्षगण व प्रतिभूति ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुलह के लिये दुबारा व आगे अपील न चलाये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष की फर्द आम उनके अधिवक्ताओं ने कही, सुलह को इसी स्तर पर निपटाने हेतु समय दिया जाना तय कर उपरान्त लेकर अग्रिम पेश हो। Ram	No objection 4/9/24